

संख्या:-453/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उओप्रओ, लखनऊ।

25-4-25

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: मई, 2025

विषय: प्रदेश के सभी जनपदों में डिजिटल साईनेज बोर्ड की स्थापना करके संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-8184/रा०आ०का०/2025-26, दिनांक 23.04.2025, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में डिजिटल साईनेज बोर्ड की स्थापना एवं संचालन का समस्त कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कर लिये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जनपदों में डिजिटल साईनेज बोर्ड की स्थापना करके संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल स्वीकृत धनराशि ₹० 8,88,00,000/- के सापेक्ष टेण्डर की धनराशि ₹० 8,49,24,804/- में से सम्बन्धित फर्म को पूर्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंशिक कार्य हेतु ₹० 3,11,81,604/- का भुगतान हो जाने के पश्चात वर्तमान में प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित फर्म को अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से ₹० 5,37,43,200/- की धनराशि आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जनपदों में डिजिटल साईनेज बोर्ड की स्थापना एवं संचालन का समस्त कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कर लिये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जनपदों में डिजिटल साईनेज बोर्ड की स्थापना करके संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल स्वीकृत धनराशि ₹० 8,88,00,000/- के सापेक्ष टेण्डर की धनराशि ₹० 8,49,24,804/- में से सम्बन्धित फर्म को पूर्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंशिक कार्य हेतु ₹० 3,11,81,604/- का भुगतान हो जाने के पश्चात वर्तमान में प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित फर्म को अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि ₹० 5,37,43,200/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) प्रश्नगत परियोजना में अवशेष धनराशि के भुगतान से पूर्व राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित सभी डिजिटल साईनेज पूर्णतः क्रियाशील हैं एवं उनका अधिकतम यथेष्ट उपयोग किया जा रहा है।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

- (3) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ का होगा।
- (6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (10) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 5,37,43,200/- को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SHAIENDRA MANI TRIPATHI
Date: 04-06-2025 18:06:48
अनु सचिव।

संख्या:-453(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उओप्रओ, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उओप्रओ, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उओप्रओ शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उओप्रओ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/06/2025

प्रेषण संख्या:- 453
आवंटन आदेश संख्या:- 001-453
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	53743200 149527374	53743200 149527374
	योग	वर्तमान प्रगामी	53743200 149527374	53743200 149527374

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ सैंतीस लाख तियालीस हजार दो सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ पंचानवे लाख सत्ताइस हजार तीन सौ चौहत्तर


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।